FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) आबु मुकाम ....

चैनराज बनाम अणदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 RTR act नं. 155 सन 17

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.19	प्रार्थी ~~/वादी~~/अपीलांट के वकील श्री चैनराज ने यह प्रार्थना पत्र/~~दावा~~/अपील धारा 111, 128 RTR Act ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11.06.19 को पेश हो।	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 26/08/19 को पेश होवे।	
26/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनांक 17/12/19 को पेश हों।	
17/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:03:56 IST
Reason: SelfAttested

एडवोकेट बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा मेड आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह से बिगड़ गये है, प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य कोई चिन्ह नहीं होने से बवाल होने पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के मेडो को लेकर तनाजा बना रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सही सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेपामबन्दी करानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपामबन्दी आदेश किया जावे। जिसमें तहसीलदार अमल रहे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जिला को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपामबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
12.2016

सहायक कलेक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:03:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2019/ 1026 दिनांकः– 17/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. घमुराम पुत्र मुलाराम वगैरा जाति जाट निवासी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. जीयाराम पुत्र खियाराम वगैरा निवासी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या /19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मदो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर कमशः 613, 614, 640, 641, 642 रकबा कमशः 160.16, 80.06, 01.03, 01.04, 283.00 बीघा पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

[signature] 17-12-2019
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2019/ 1027-31 दिनांकः– 17/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री घमुराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री जीयाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा ।

[signature] 17-12-2019
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:03:56 IST
Reason: SelfAttested